HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Revision Petition No. 282/2026
URN: CR / 458U / 2026

1. Karauli District Cricket Association, A Registered District Level Cricket Association Through its Secretary Shiv Charan.
2. Shiv Charan S/o Late Bhauru Lal Mali, Aged About 68 Years, Hony. Secretary District Cricket Association, Karauli, R/o 53/198, V.T. Road, Mansarovar, Jaipur (Raj.).

----Petitioners

Versus

1. State of Rajasthan, Through Deputy Registrar, Co-Operative Societies, Karauli.
2. Inspector (Office) And Enquiry Officer, Office of Dy. Registrar Cooperative Societies, Karauli.
3. Shree Gopal Singh S/o Shree Raghuvar Dayal, Secretary, City Diamond Club, Sitabadi, Karauli.
4. Shree Naresah Kumar Goyal, President, M.C.C. Shree Anil Kumar Sharma, M.c.c. And Shree Pushpendra Sharma, M.C.C. Club, Karauli.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Swadeep Singh Hora, Adv. with Mr. Arpit Gupta, Adv.

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

1.	**Arguments Concluded On:**	**03/07/2026**
2.	**Order Reserved On:**	**03/07/2026**
3.	**Full Order/Operative Part Pronounced:**	**Full Order**
4.	**Pronounced On:**	**09/07/2026**

S.B. Civil Misc. Stay Application No. 2862/2026 IN
S.B. Civil Revision Petition No. 282/2026:-

स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

याचीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि राजस्थान खेल (संघों का पंजीकरण, मान्यता एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (जिसे आगे 'अधिनियम–2005' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की धारा 23(1)(सी) तथा राजस्थान खेल (संघों का पंजीकरण, मान्यता एवं विनियमन) नियम, 2004 (जिसे आगे 'नियम–2005' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के नियम 8(1)(सी) के तहत इस प्रकरण में की गयी जांच क्षेत्राधिकार से बाहर तथा प्रावधानों के विपरीत है। शिकायतकर्ता विजय कुमार शर्मा द्वारा उपरजिस्ट्रार सहकारी समिति को शिकायत करना बताया गया है लेकिन उक्त शिकायतकर्ता द्वारा कोई शिकायत ही नहीं की गई है। उपरजिस्ट्रार सहकारी समिति करौली ने शिकायतकर्ता विजय कुमार शर्मा, मासलपुर क्रिकेट क्लब की शिकायत पर आदेश दिनांक 13.01.2025 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया। उक्त आदेश के द्वारा नियम–2004 के नियम 8 के तहत जांच के विनिर्दिष्ट बिंदु निर्धारित नहीं किए गए और रजिस्ट्रार संस्थाएं व उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कार्यालय ने स्वतंत्र रूप से जांच की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया। ऐसी स्थिति में जांच आदेश दिनांक 13.01.2025 विधि–विरुद्ध है। जांच में सुनवाई और दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर याचीगण को प्रदान नहीं किया गया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं किए जाने के कारण जांच रिपोर्ट व उस पर दिया गया आदेश तथा उक्त संदर्भ में अपीलीय न्यायालय का आदेश विधि में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। जांच रिपोर्ट दिनांक 05.03.2025 व उसके परिणामस्वरूप जारी आदेश दिनांक 18.03.2025 दुर्भावना से पारित आदेश है, जिसमें निष्पक्षता का अभाव है। नियम–2004 की पालना के विपरीत एड–हॉक कमेटी बनाई गई है, जो नियम–2004 के नियम 9(2) में वर्णित प्रावधानों के विपरीत बनाई जाने के कारण प्रारंभ से ही अवैध, शून्य व बिना क्षेत्राधिकार की

है। ऐसी स्थिति में एड–हॉक कमेटी को विधिक रूप से कार्य करने का अधिकारी नहीं है। जांच आदेश दिनांक 13.01.2025 अधिनियम–2005 की धारा 23 सपठित नियम–2004 के नियम 8 के विपरीत है। अतः विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2026 और उपरजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 को स्थगित किया जावे।

याचीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित विनिश्चय प्रस्तुत किए:–

1. Rajasthan Tennis Association Through Its President Vs. Rajasthan Cooperative Societies & Ors.; 2007 SCC OnLine Raj 963
2. B.R. Soni (Dr.) & Anr. Vs. State of Rajasthan & Ors.; 2020(1) RLW 575 (Raj)
3. Chairman-cum-Managing Director, Coal India Limited & Ors. Vs. Ananta Saha & Ors.; (2011) 5 SCC 142
4. Andaman Timber Industries Vs. Commissioner of Central Excise, Kolkata-II; (2016) 15 SCC 785
5. Union of India Vs. T.R. Varma; 1957 SCC OnLine SC 30
6. Saketh India Ltd. & Ors. Vs. India Securities Ltd.; (1999) 3 SCC 1
7. Jai Durga Enterprises Vs. Union of India & Ors.; 2021 SCC OnLine Del 2446
8. Rajiv Pratap Singh Rathore Vs. State of Rajasthan & Ors.; D.B. Civil Writ Petition (PIL) No. 2586/2026; Order Dated 01.07.2026

प्रकरण के तथ्यों के अनुसार विजय कुमार शर्मा कोषाध्यक्ष मासलपुर क्रिकेट क्लब द्वारा उपरजिस्ट्रार सहकारी समिति कार्यालय को एक शिकायत प्रेषित की गई थी, जिस पर रजिस्ट्रार संस्थाएं एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कार्यालय ने दिनांक 13.01.2025 को आदेश पारित कर उक्त शिकायत के संबंध में जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच अधिकारी ने दिनांक

05.03.2025 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें शिकायत के कुछ बिंदुओं पर शिकायत सही होना पाया गया और यह पाया कि पूर्व में करौली जिला क्रिकेट संघ द्वारा संघ के क्रियाकलापों का संचालन अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जांच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के आधार पर करौली जिला क्रिकेट संघ में तदर्थ कार्यकारिणी नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई। जांच प्रतिवेदन दिनांक 05.03.2025 में जांच अधिकारी ने यह भी पाया कि अधिनियम–2005 की धारा 8 (1)(बी) के अंतर्गत 4 वर्ष में करौली जिला क्रिकेट संघ के चुनाव पर्यवेक्षक की उपस्थिति में होने चाहिए थे, लेकिन वर्ष 2023 में करवाए गए निर्वाचन में पर्यवेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई थी। वर्ष 2023 में करवाए गए निर्वाचन में निर्वाचन से पूर्व कार्यकरिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्यवेक्षक नियुक्त करने हेतु राजस्थान क्रिकेट संघ को समुचित अर्थना भेजी जाकर नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं की गई और जांच अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए करौली जिला क्रिकेट संघ में तदर्थ कार्यकारिणी नियुक्त किए जाने की अनुशंषा की। इस पर उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कार्यालय ने अधिनियम–2005 की धारा 24 के अंतर्गत दिनांक 18.03.2025 को जांच प्रतिवेदन पर विचार करते हुए आदेश पारित कर जिला क्रिकेट संघ, करौली की दिनांक 30.09.2023 को घोषित कार्यकारिणी समिति को भंग कर जिले में क्रिकेट खेल गतिविधियों के सुचारू संचालन व खेल प्रतिभाओं को उचित अवसर प्रदान करने हेतु तदर्थ कार्यकारिणी समिति की नियुक्ति की घोषणा की। दिनांक 30.09.2023 को घोषित कार्यकारिणी के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम–2005 की धारा 22(1)(ख), 22(1)(ग) व 22(1)(घ) के तहत निरर्हताएं प्रमाणित पाई गई और तदर्थ कार्यकारिणी समिति का गठन कर दिया गया। निर्वाचन अधिकारी, जिला क्रिकेट संघ करौली ने दिनांक 19.06.2026 को जिला क्रिकेट संघ करौली की

नव–निर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा हेतु वार्षिक आम सभा का आयोजन किया। राजस्थान क्रिकेट संघ ने दिनांक 18.06.2026 को आदेश जारी कर करौली जिला क्रिकेट संघ के पर्यवेक्षक की नियुक्ति का आदेश दिया। राजस्थान क्रिकेट संघ के पर्यवेक्षक श्री विमल शर्मा और राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के पर्यवेक्षक श्री रमेश गुप्ता की उपस्थिति में आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें जिला क्रिकेट संघ की वर्ष 2026 से 2030 तक की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई और जिसके पदाधिकारियों की सूची नवीन अध्यक्ष ने दिनांक 19.06.2026 को जारी की। राजस्थान क्रिकेट संघ ने करौली जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में दिनांक 22.06.2026 को आदेश पारित कर मान्यता प्रदान की। वर्तमान में उक्त कार्यकारिणी कार्य कर रही है।

वर्तमान में दिनांक 30.09.2023 को घोषित जिला क्रिकेट संघ, करौली की कार्यकारिणी समिति को भंग किया जा चुका है तथा नई निर्वाचित कार्यकारिणी समिति कार्य कर रही है। याची की ओर से निगरानी याचिका में जो तर्क उठाए गए हैं, उन तर्कों को इस स्तर पर, अधिनियम–2005 व नियम 2004 में वर्णित प्रावधानों का विस्तृत विवेचन गुणावगुणों पर विस्तृत रूप से किया जाता है तो निगरानी याचिका के गुणावगुण पर निस्तारण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 4 को इस निगरानी याचिका में सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। निगरानी याचिका में उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2025, जिसके द्वारा तदर्थ कार्यकारिणी समिति की नियुक्ति की गयी थी और पूर्व में दिनांक 30.09.2023 को घोषित कार्यकारिणी समिति को भंग किये जाने का आदेश दिया गया था, उसे स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। उक्त आदेश दिनांक 18.03.2025 की पालना में तदर्थ कार्यकारिणी समिति का गठन हो जाने के उपरांत राजस्थान क्रिकेट संघ व राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के पर्यवेक्षकों

की उपस्थिति में दिनांक 19.06.2026 को जिला क्रिकेट संघ करौली की कार्यकारिणी गठित हो चुकी है, जिसे राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आदेश दिनांक 22.06.2026 द्वारा Certificate of Affiliation जारी किया गया है। दिनांक 19.06.2026 को नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के निर्वाचन को इस निगरानी याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा दिनांक 18.03.2025 को पारित आदेश/निर्णय व उक्त आदेश के संदर्भ में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2026 को इस स्तर पर स्थगित किया जाना न्यायसंगत व उचित प्रतीत नहीं होता है।

यदि इस स्तर पर याची द्वारा प्रस्तुत विनिश्चयों पर विस्तृत रूप से प्रकरण के तथ्यों, अधिनियम–2005 व नियम–2004 के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत रूप से विवेचन किया जाता है, तो निगरानी याचिका के गुणावगुण पर निस्तारण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए याची की ओर से प्रस्तुत यह स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

S.B. Civil Revision Petition No. 282/2026:-

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 4 को नोटिस जारी किये जावें तथा प्रकरण से संबंधित अभिलेख तलब किया जावे।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/95